FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0127 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/06/2024 14:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/06/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:56 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/06/2024 **Time (समय):** 11:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/06/2024 14:47:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** NearJen Hospital, Khudhala Falna Distric Pali

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Gajendar Puri

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Sohanlal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Bali, Bali, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Bali, Bali, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Kirpal Singh		पिता:Chandan Singh	1. 140,Ganesh Vihar Colony,Sirsi Moad,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	Dimpal		अभिभावक:Ramcharan Lal	1. Bhandari Bairuni,KARAULI,RAJASTHAN,I
3	Ramesh Kumar		पिता:Jagaram	1. Narlaye,DESURI,PALI,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		65,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 65,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 23.06.2024 वक्त 02.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी निवासी बाली जिला पाली द्वारा दिनांक 22.06.2024 को ब्यूरों मुख्यालय पर रिश्वत मांगने की शिकायत करने के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें दिनांक 23.06.2024 वक्त 08.10 एएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [illegible] पर वार्ता कि तो परिवादी नें लोक सेवक द्वारा रिश्वत राशि मांगनें की शिकायत की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को अग्रिम कार्यवाही के लिए एसीबी कार्यालय पाली आनें के लिए कहा तो परिवादी नें असमर्थतता जाहिर की। जिस पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक नें परिवादी कों कहां कि दिनांक 23.06.2024 कों आप अपनें बाली स्थित दुकान पर मिलें मै बाली आकर आपसे सम्पर्क कर लुगा। परिवादी की शिकायत के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानीसिंह हैड कानि.19 व कार्यालय हाजा का डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय नये मेमोरी कार्ड के पाली से रवाना होकर बाली स्थित परिवादी के दुकान पर पहुचें जहां पर परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी उपस्थित मिला तथा एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरे महादेव ट्रेवल्स नाम से रेलवे की ऐजेन्ट आई.डी है जिसका मेरे पास वैद्य लाईसेन्स है। इस आईडी से मैं रेलवे के टिकिट बनाता हूं। दिनांक 07.06.2024 को आरपीएफ थाना फालना के सीआई साहब कृपाल सिंह, रमेश जी एएसआई व कानि0 हरमिन्द्र मेरी बाली स्थित दुकान पर आये तथा मेरे बारे में मेरे घर वालो से पूछताछ की तो मेरे घर वालो ने मेरा पत्नि को साथ लेकर जयपुर होना बताया। आरपीएफ के सीआई साहब व स्टाफ ने दुकान में पडे मेरे लैपटॉप (डेल कम्पनी) को चैक किया तथा काफी देर चेक करके लैपटॉप को साथ लेकर जाते हुए मेरे घरवालो को बोला कि तुम्हारे लडके गजेन्द्र पुरी की रेलवे की फर्जी आईडी की शिकायत है, उसके आते ही उसे रेलवे थाने फालना भेज देना। जिस पर मैं दिनांक 11.06.2024 को रेलवे थाने फालना गया तो मुझे थाने में थानेदार डिम्पल मैडम मिली तो उन्होने मुझे धमकाते हुए बोला कि हमारे पास तुम्हारी साईनाथ ट्रेवल्स नाम की फर्जी आईडी की शिकायत है जो तुम यूज करते हो तथा अवैध टिकिट बनाते हो। तो मैनें उनको बताया कि मेरे पास महादेव ट्रेवल्स नाम की आईडी है। मैं किसी साईनाथ ट्रेवल्स नाम की आईडी यूज नही करता हूं और न ही किसी प्रकार के अवैध टिकिट बनाता हूं। आप मेरा लैपटॉप भी लाये हो चैक कर सकते हो। मेरा साईनाथ ट्रेवल्स नाम की आईडी से कोई लेना देना नही है। तब डिम्पल मैडम ने मुझे धमकाते हुए बोला कि हम तेरे उपर फर्जी टिकिट बनाने का केस बनायेगे नही तो मामले को यही सेटल कर लो। डिम्पल मैडम ने मुझे सीआई साहब यहां नही है चार पांच दिन बाद आकर उनसे मिलना। तब मैं पांच छः दिन बाद आरपीएफ थाने गया तो मुझे सीआई साहब कृपाल सिंह मिले तथा धमकाते हुए बोले कि तू फर्जी आईडी यूज करता है तथा अवैध टिकिटे बनाता है, तेरी हमारे पास उपर से शिकायत आई है। मामले को यही सेटल कर, दो लाख रूपये देता है तो ठीक है नही तो तेरे उपर केस बनायेगें तथा लैपटॉप भी जब्त कर लेगें। उसके बाद मैं दो-चार बार ओर थाने में गया तो मुझे हर बार कभी डिम्पल मेडम व कभी रमेश जी एएसआई मिलते तथा सीआई साहब से मामले को सेटल करने का दबाव बनाते रहते। डिम्पल मेडम व सीआई साहब मुझसे मेरे बैक स्टैटमेन्ट व पैन-कार्ड बार-बार मांगते है तथा मामले को यही सेटल करने व लैपटॉप वापिस करने के लिये दो लाख रूपये रिश्वत देने के लिये दबाव बनाते रहते है। मैं गरीब हुं इस कारण रिश्वत के तौर पर इतनी बडी रकम नही दे सकता। मैं सीआई कृपालसिंह व डिम्पल एसआई मेडम व रमेश जी एएसआई को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी सीआई कृपालसिंह व डिम्पल एसआई मेडम व रमेश जी एएसआई से किसी प्रकार का कोई लेन-देन बकाया नही है एवं न ही किसी प्रकार की कोई रंजिश/दुश्मनी है। कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करावें। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पुछताछ करनें पर परिवादी नें रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के बारे में तथ्य बताये। परिवादी की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवम् पुछताछ से मामला लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने से संबधित होनें से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आनें से प्रथमतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होनें से गोपनीय सत्यापन करवाये जानें का निर्णय लिया जाकर हमराह श्री भवानीसिहं हैडकानि व परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी का आपस में परिचय करवाया तथा गजेन्द्र पुरी को उसके लम्बित कार्य की एवज में आरपीएफ अधिकारियों द्वारा रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने तथा मांग की गई रिश्वत राशि की वार्ता

को रिकोर्ड कर लाने के लिए कहा। परिवादी नें बताया कि मुझे सोमवार को आरपीएफ थाना फालना बुलाया है तथा मैं सोमवार को ही उनसे मिलनें जाउंगा। परिवादी के बताये अनुसार आज दिनांक को सत्यापन की कार्यवाही नही होनें से श्री भवानीसिंह हैड कानि. को रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड देकर निर्देशित किया कि अपनी उपस्थिति यही रखे तथा परिवादी के बताये अनुसार आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करावें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली से पाली के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 24.06.2024 वक्त 05.25 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री भवानीसिंह हैडकानि नें जरिये वाटसअप कॉल कर बताया कि आज दिनांक को परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी के भाई के चोट लग जानें से वो आज उसके भाई के ईलाज में व्यस्थ है तथा आज रिश्वत राशि मांग का सत्यापन नही करवाया जा सकता जिस पर हैडकानि. को निर्देशित किया कि आप वही रूके तथा परिवादी के फ्री होनें पर गोपनीय सत्यापन कार्यवाही करावें। तत्पश्चात् दिनांक 25.06.2024 वक्त 03.30 पी0एम0 पर श्री भवानीसिंह हैड कानि पुर्व के निर्देशानुसार बाद गोपनीय सत्यापन के फालना से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा पुर्व का सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के बन्द हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों सुपुर्द कर बताया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिए बाली के आसपास ही रूका हुआ था। परिवादी से सम्पर्क करनें पर उसने आज दिनांक 25.06.2024 को आरपीएफ थाना जाकर रिश्वत राशि के संबध में वार्ता कर गोपनीय सत्यापन करवानें के बारे में बताया कि मैनें परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी को फालना रेल्वे स्टैशन के बाहर मिलने का कहा जिस पर परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी व उसके चाचाई भाई श्री देवेन्द्र पुरी व दोस्त श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादी की मोटरसाईकल से फालना रेल्वे स्टेशन के बाहर मेरे पास आये। मैनें परिवादी श्री गजेन्द्र को वायस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु कर गोपनीय सत्यापन हेतु सुपुर्द कर आरपीएफ थाना फालना के लिए रवाना किया तथा मैं गोपनीयता बरततें हुये परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। मैनें परिवादी, उसके चाचाई भाई व उसके दोस्त कों आरपीएफ थानें में जाते हुये देखा तथा मै रेल्वे प्लेटफार्म पर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा रहा। करीब एक डेढ घण्टे बाद परिवादी आरपीएफ थानें से बाहर आया तथा आरपीएफ थाने से दुर गोपनीय स्थान पर स्टैशन के बाहर मेरे से मिला तथा वाईस रिकोर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैनें बन्द कर अपनें कब्जें में सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवादी नें मुझे बताया कि आरपीएफ थानें पहुंच मै पहले डिम्पल मैडम से मिला तथा मेरे तीन महिनें की खातें का स्टैटमेन्ट दिया तथा मुझे अपना पेन-कार्ड लाने का बोला। उसके बाद सीआई साहब श्री कृपाल सिंह ने मुझे व मेरे दोस्त नरेन्द्र सिंह को अपने कमरे में बुलाया तथा कहा कि तू हर दूसरे दिन स्टैटमेन्ट लेकर आ जाता है जो चीज लानी होती है वह नही लाता है। तब मेरे दोस्त नरेन्द्र सिंह ने बोला कि रोज रोज का खत्म करो साहब मामला सेटल करो, आप इसको बोलते हो और ये मुझे बोलता है। इसलिए आज मामले को सेटल करो साहब। इसके पश्चात् सीआई साहब कृपाल सिंह मेरे व मेरे दोस्त नरेन्द्र सिंह की पुरी तलाशी लेता है तथा रूपये देने का ईशारा करता है तथा अपने पास रखे अखबार के कागज पर दो लिखकर दो बोलता है। जिस पर मैनें दो लाख ज्यादा होने का तकाजा किया तथा पचास व उसके बाद सत्तर हजार तक ही देने का बोला तो सीआई साहब कृपाल सिंह ने मुझे मुंह से पैसो का बोलने का मना किया तथा एक लाख रूपये अखबार पर लिखते हुए का ईशारा किया। कुछ समय वार्ता के उपरान्त रूपये देने के बारे में यस या नो में बोलने का बोला। इसके पश्चात् वापिस मुझे डिम्पल मेडम के पास भेज दिया तो डिम्पल मेडम ने मेरे चाचाई भाई देवेन्द्र के बयान लिये। उसके बाद मै थाने के बाहर रमेश कुमार एएसआई से मिला तो मैनें उनको बताया कि सीआई ने मुझ से एक लाख रूपये का बोला है, आप थोडा कम करवा दो। जिस पर मुझे आज शाम को रूपये लेकर आने का कहा। उसके बाद मैं व मेरे दोस्त नरेन्द्र सिंह आरपीएफ थाने से आ गये तथा देवेन्द्र थाने में ही बैठा रहा। आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी को वही रूखस्त किया। हैड कानि0 द्वारा बताये तथ्यो के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस ने वायस रिकार्डर चालू कर सुना तो रिकार्ड वार्ताओ में आरोपी श्री कृपाल सिंह व सह आरोपिया सुश्री डिम्पल द्वारा परिवादी से परिवादी के विचाराधीन जांच के क्रम में वार्ता होना पाया गया तथा परिवादी की विचाराधीन जांच में मदद करने की ऐवज में आरोपी श्री कृपालसिंह निरीक्षक द्वारा रिश्वत के संबध में स्पष्ट वार्ता नही करते हुए ईशारो में संकेत किया जिसके क्रम में परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करना पाया गया। प्रकरण में ओर अधिक साक्ष्य संकलन हेतु एक बार पुनः मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया तथा रिकार्डर बंद कर सुरक्षित हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में रखा। परिवादी के बताये तथ्यो के अनुसार संदिग्ध अधिकारी ने आज दिनांक को ही परिवादी को रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। जिस पर एक बार प्रथम किश्त में तय रिश्वत राशि में से कुछ रिश्वत राशि देकर एक बार ओर मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् वक्त 7.24 पी0एम0 परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आरपीएफ थाने से श्री रमेश कुमार एएसआई साहब का फोन आया और कहा कि सीआई साहब बुला रहै है, तू रूपये लेकर आया नही। परिवादी के बताये तथ्यो से तय रिश्वत राशि में से कुछ राशि देकर पुनः सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वायस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् वक्त 08.20 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मणदान एएसआई, श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक व श्री सोहनलाल कानि0 के कार्यालय हाजा का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निजी वाहन से पाली से फालना-बाली के लिये रवाना हुआ तथा परिवादी को फालना से बाहर

बाली की तरफ सेंट पॉल स्कूल के पास मिलने व तय रिश्वत राशि में से कुछ राशि साथ लेकर आने के लिये निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का उपरोक्त हमराहीयान के फालना से बाहर बाली की तरफ सेंट पॉल स्कूल के पास पहुंचा तथा साईड में निजी वाहन को खडा कर परिवादी के इन्तजार में मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी व उसका भाई मनीष पुरी सेंट पॉल स्कूल के पास मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा बताया कि श्री रमेश कुमार एएसआई मुझे लगातार फोन कर रहे है और जल्दी रिश्वत राशि लेकर बुला रहे है तथा मैं आपके बताये अनुसार तय रिश्वत राशि में से 40,000 रूपये लेकर आया हूं। जो मैं अब उनको दूंगा तथा शेष राशि के बारे में व रिश्वत राशि की मांग के बारे में स्पष्ट वार्ता करने की कोशिश करूंगा। जिस पर परिवादी को समझाईश की गई कि अब तुम सीआई व एसआई मैडम से मिलने जाओ तो आज सुबह तय की गई रिश्वत राशि में से 40,000 रूपये देकर शेष रिश्वत राशि के बारे में स्पष्ट वार्ता कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करावें। तत्पश्चात् वक्त 09.31 पी0एम0 पर श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक व परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी का आपस में परिचय करवाकर दोनो के मोबाईल नम्बर आदान-प्रदान करवाकर कार्यालय हाजा का डिजीटल वायस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड के श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर गोपनीय सत्यापन करवाने के लिये परिवादी व उसके भाई तीनो को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरपीएफ थाना फालना के रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरायान पुलिस स्टाफ के अपनी उपस्थिति छुपाते हुए सेंट पॉल स्कूल के आस-पास ही मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात् श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक मय डिजीटल वायस रिकार्डर एंव परिवादी गजेन्द्र व उसके भाई मनीष सहित परिवादी की मोटरसाईकिल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक ने डिजीटल वायस रिकार्डर बंद हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे मैनें सुरक्षित अपने कब्जे में रखा। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि हम तीनो यहां से रवाना होकर फालना रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तथा आरपीएफ थाने से थोडा पहले श्री अवतार सिंह ने डिजीटल वायस रिकार्डर चालू कर मुझे दिया ओर मैं व मेरा भाई मनीष आरपीएफ थाने गये। हम दोनो थाने गये तो थाने में सीआई साहब व एसआई मैडम मिले। एसआई मैडम ने मेरे भाई मनीष के बयान लेकर हस्ताक्षर करवाये। उसके बाद सीआई साहब ने मुझे रमेश जी से मिलने के लिये ईशारा किया। उसके बाद मैं थाने से बाहर आया तथा रमेश जी एएसआई साहब को फोन किया तो रमेश जी ने सरकारी हॉस्पिटल के पास खुडाला रोड पर मुझे बुलाया तो मैं रमेश जी बुलाये स्थान पर गया जंहा पर रमेश जी मिले। मैनें मेरे जांच के बारे में बात की तो रमेश जी ने मेरी जांच में मदद करने की ऐवज में सीआई साहब द्वारा एक लाख रूपये में बात तय करने की बात बताई। साथ ही ओर भी मामलों में सीआई साहब ने पैसे लिये उनके बारे में भी बात बताई। मैनें रमेश जी को 40,000 रूपये दिये तो उन्होने लेकर रख लिये तथा शेष राशि कल ही देने के लिये कहा। उसके बाद मैं रमेश जी के पास से रवाना होकर अवतार सिंह के पास आया तथा रिकार्डर उनको दिया जो उन्होने बंद कर अपने पास रखा। हम वहां से रवाना होकर आपके पास आ रहे थे तब मेरे पास रमेश जी का फोन आया कि तू तो 40,000 रूपये का बोल रहा था लेकिन तूने 35,000 रूपये ही दिये है तो मैनें कहा कि मैनें गिने नही हो सकता है 35,000 रूपये ही होगें। तत्पश्चात् परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी को गोपनीयता की हिदायत कर अपनी सकूनत के लिये रवाना किया तथा वक्त 10.50 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरायान के बाली से पाली के लिये रवाना हुआ। उपरोक्त फिगरा का रवाना मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहीयान के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा डिजीटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित अपने कब्जे में रखा। दिनांक 26.06.2026 वक्त 10.00 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में रखा डिजीटल वायस रेकार्डर निकाल कर चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो रिकार्ड वार्ताओ में सह आरोपी श्री रमेश कुमार एएसआई ने रिश्वत के संबध में वार्ता करते हुए सीआई व एसआई मैडम द्वारा रिश्वत राशि के संबध में वार्ता करना पाया गया। रिकार्ड वाताओ से स्पष्ट होता है कि परिवादी के विरूद्ध आरपीएफ थाना में विचाराधीन जांच एसआई मैडम द्वारा किया जा रही है तथा इस जांच को परिवादी के पक्ष में करने के लिये परिवादी से षडंयत्रपूर्वक डरा धमका कर सीआई, एसआई मैडम व एएसआई द्वारा एक राय होकर रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा स्पष्ट प्रकट होती है। रिश्वत राशि सीआई व एसआई मैडम के लिये एएसआई द्वारा प्राप्त करने के तथ्य भी स्पष्ट प्रकट होते है। तत्पश्चात् वक्त 11.30 ए0एम0 पर श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को कार्यालय हाजा का डिजीटल वायस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड व श्री मोहनलाल हैड कानि0 को अवतार सिंह के साथ निजी वाहन से गोपनीय कार्यवाही हेतु बाली की तरफ रवाना किया। तत्पश्चात् आयोजित गोपनीय कार्यवाही में अन्य टीम की आवश्यकता होने से ईमदाद जाब्ता भिजवाने बाबत् श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय भ्रनिब्यूरो जोधपुर को निवेदन किया गया। तत्पश्चात् श्रीमान् के निर्देशानुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सिरोही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी जोधपुर शहर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसयू जोधपुर एवमं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली प्रथम सभी को गोपनीय कार्यवाही मे इमदाद के लिये टीम सदस्य भिजवाने के लिये निवेदन किया गया। आयोजित गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से तहसीलदार पाली, आयुक्त नगरपरिषद पाली, अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0पाली एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली के नाम गवाह उपलब्ध करवाने की तहरीर जारी कर श्री पूनाराम कानि0 को रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात् श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो जोधपुर शहर

अपने जाप्ते सहित सरकारी वाहन टवेरा से चैकी हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् गवाह श्री रमेश परिहार सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0 पाली प्रथम व श्री धनराज प्रजापत सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 डिजीवन पाली, श्री नरेश चैधरी पटवारी पटवार मण्डल बाणियावास तहसील व जिला पाली, श्री भरत कुमार पटवारी पटवार मण्डल बोमादडा तहसील व जिला पाली, श्री श्रवण कुमार कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पाली, श्री तेजाराम कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पाली, श्री अशोक नवल कनिष्ठ अभियन्ता नगरपरिषद पाली व श्री हेमराज आदिवाल कनिष्ठ सहायक नगरपरिषद पाली कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 04.35 पी0एम0 पर श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक को गोपनीय हिदायत कर साण्डेराव पहुंचने के निर्देश देकर हमराह लाये जाप्ता सहित एवं स्वतंत्र गवाह श्री श्रवण कुमार कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पाली व श्री तेजाराम कनिष्ठ सहायक पंचायत समति पाली को हमराह लाये सरकारी वाहन से साण्डेराव की तरफ रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु निर्देशानुसार पाली चैकी प्रथम से श्री अशोक कुमार हैड कानि0, श्री दशरथ सिंह, कानि0 श्री नरेन्द्र चैधरी कानि0 व श्री धर्माराम कानि0 जरिये वाहन टवेरा मय चालक अभय कुमार हैड कानि0 के चैकी हाजा पर उपस्थित आये। आयोजित ट्रेप कार्यवाही में परिवादी चूंकि बाली पर ही रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर उपस्थित मिलेगा, इस कारण रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर बाली में लगाया जाने का निर्णय लेकर कार्यालय हाजा के स्टोर की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा श्री पूनाराम कानि0 से निकलवाकर डिब्बे में से फिनोफ्थलीन पाउडर को कागज के लिफाफे में डलवाकर पुनाराम के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा पुनः कार्यालय हाजा की अलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात् श्री पूनाराम कानि0 के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मणदान एएसआई, श्री सोहनलाल कानि0, श्री पूनाराम कानि0 मय फिनोफ्थलीन पाउडर का लिफाफा एवं स्वतंत्र गवाह श्री रमेश परिहार, धनराज प्रजापत, ट्रेप कार्यवाही से संबधित आवश्यक सामग्री, ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर सहित सरकारी वाहन बोलेरो से व श्री चैन प्रकाश पुलिस निरीक्षक, श्री भवानी सिंह हैड कानि, श्रीमति कौशल्या महिला कानि., स्वतंत्र गवाह नरेश चैधरी पटवारी व भरत कुमार रामनानी पटवारी के श्री पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन से फालना-बाली के लिये रवाना हुए। सिरोही ब्यूरो टीम के प्रभारी श्री पदमपाल सिंह पुलिस निरीक्षक को जरिये फोन साण्डेराव पहुंचने के निर्देश दिये। तत्पश्चात् वक्त 06.05 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो टीम के सदस्य, स्वतंत्र गवाहन, एवंम ट्रेप कार्यवाही से सबधित आवश्यक सामग्री, कार्यवाही से संबधित उपकरण एवं ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर के बाली कस्बे से बाहर साण्डेराव की तरफ रोड पर ही स्थित परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी की दुकान पर पहुंचा, जंहा पर पूर्व के निर्देशित मोहनलाल हैड कानि0 व अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक अपने निजी वाहन के उपस्थित मिलें। अन्य पार्टी के प्रभारी श्री पदमपाल सिंह पुलिस निरीक्षक व श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक भी हमाराहियान के अपने अपने वाहनो से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास निर्देशानुसार उपस्थित आये। परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी की दुकान पर उपस्थित मिले। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी गजेन्द्र पुरी का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात् परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी की रिपोर्ट दोनो गवाहन के सुपुर्द कर पढाई गई। दोनो गवाहो ने परिवादी की रिपौर्ट पढकर परिवादी से पूछताछ की। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबधित मुख्य मुख्य अंश दोनो गवाहो को कम्पयूटर के माध्यम से सुनाये गये। तत्पश्चात् परिवादी की रिपोर्ट के कम में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन रहने की मौखिक सहमति देते हुए परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाह श्री रमेश परिहार व धनराज की उपस्थिति में परिवादी श्री गजेन्द्रपूरी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 65,000/- रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी एवं स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया श्री पूनाराम कानि.165 से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर तैयार की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन होने के पश्चात गोपनीय ईशारा दो-तीन बार सिर पर हाथ फेरकर या मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर मिस्ड काल/काल करने की समझाईश की गयी। उक्त गोपनीय ईशारे के बारे में ट्रेप कार्यवाही के समस्त सदस्यों को भी समझाया गया। तत्पश्चात् श्री पूनाराम को रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् पूनः पाली के लिये रवाना किया गया तथा टे्प कार्यवाही मे इमदाद के लिये आई अन्य टीम प्रभारी श्री मनीष कुमार पुलिस निरीक्षक मय टीम सदस्यों एवं श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस मय टीम सदस्यों के फालना कस्बे मे पंहुच कर रेल्वे स्टेशन के आस पास मुकीम रहने के लिये निर्देशित किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहीयान ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहान मय कार्यालय हाजा का लेपटाप, प्रिन्टर, टै्प बाक्स के सरकारी बोलेरो एवं श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक मय हमराही पार्टी एवं श्री पदमपालसिंह मय हमराही पार्टी के अपने-अपने वाहनों से एवं श्री मोहनलाल हैड कानि. व श्री अवतारसिंह वरिष्ट सहायक को अवतारसिंह के निजी वाहन से एवं परिवादी श्री गजेन्द्र पूरी को परिवादी की मोटरसाईकिल से परिवादी की दूकान बाली से फालना की तरफ रवाना हुए तथा श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक को रेल्वे स्टेशन पर आरपीएफ थाने के आस

पास आरोपिया डिम्पल एसआई की निगरानी रखने एवं श्री पदमपालसिह पुलिस निरीक्षक को रेल्वे स्टेशन पर आरपीएफ थाने के आस पास आरोपी श्री कृपालसिह निरीक्षक पर निगरानी रखने के लिये निर्देशित कर रवाना निर्देशित स्थान की तरफ किया गया। तत्पश्चात् वक्त 07.05 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहीयान ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहान मय कार्यालय हाजा का लेपटाप, प्रिन्टर, टैम्प बाक्स के सरकारी बोलेरो एवं श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक मय हमराही पार्टी एवं श्री पदमपालसिंह मय हमराही पार्टी के अपने-अपने वाहनों से एवं श्री मोहनलाल हैड कानि. व श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक को अवतारसिंह के निजी वाहन से एवं परिवादी श्री गजेन्द्र पूरी को परिवादी की मोटरसाईकिल से परिवादी की दूकान बाली से फालना की तरफ रवाना हुए तथा श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक को रेल्वे स्टेशन पर आरपीएफ थाने के आस पास आरोपिया डिम्पल एसआई की निगरानी रखने एवं श्री पदमपालसिह पुलिस निरीक्षक को रेल्वे स्टेशन पर आरपीएफ थाने के आस पास आरोपी श्री कृपालसिह निरीक्षक पर निगरानी रखने के लिये निर्देशित कर रवाना निर्देशित स्थान की तरफ किया गया। उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के कस्बा फालना से थोडा पहले रोड के एक साईड मे अपने वाहन सहित रूका जहां पर परिवादी श्री गजेन्द्र पूरी भी अपनी मोटरसाइकिल सहित अवतारसिह व मोहनलाल हैड कानि. भी निजी वाहन से उपस्थित आये। श्री अवतारसिह को निजी वाहन से उतार कर निजी वाहन श्री मोहनलाल हैडकानि. को सुपुर्द किया तथा अवतारसिहं को परिवादी के साथ लेन-देन वार्ता रिकाई करने के लिये रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी के साथ परिवादी की मोटरसाइकिल से रिश्वत राशि लेन-देन के लिये एसओ से मिलने के लिये एसओ के बुलाये स्थान की तरफ रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के मोटरसाइकिल के पीछे-पीछे अवतारसिह के निजी वाहन से मय मोहनलाल हैड कानि. व लक्ष्मणदान एएसआई के रवाना हुआ तथा सोहनलाल कानि को दोनो स्वतंत्र गवाहान सहित मय बोलेरो वाहन के मेरे पीछे-पीछे आने के लिये निर्देशित कर रवाना हुआ। उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदाश्री अवतारसिंह व परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी मोटर साईकिल से रवाना होकर फालना से बाली रोड़ कीतरफ जैन हास्पिटल के सामने की तरफ जाकर रूके। मोटर साईकिलको एक तरफ खड़ी कर श्री अवतारसिंह व परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी अलग-अगल स्थान पर खडे़ हुऐ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान भी परिवादी को देखते हुऐ जैन हास्पिटल के आस पास-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ खडे रहे। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आकर परिवादी के पास रूका एवं मोटर साईकिल पर बैठे बैठे ही परिवादी से वार्ता करने लगा। तत्पश्चात् रूबरू मौतबीरान परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी ने वक्त 07.56 पी0एम0 पर फालना-बाली रोड. पर जैन हास्पिटल के सामने एक मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति के पास खडे रहकर हास्पिटल के बाहरी लाईट के उजाले में ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुऐ पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेर कर किया। जिस पर तुरन्त ही रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री रमेश परिहार व धनराज प्रजापत व मय ब्यूरो जाब्ता के रवाना होकर परिवादी के पास पहुचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को पूर्व में दिया गया कार्यालय हाजा का डिजीटल वायस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। इतने मे अन्य टीम सदस्य जो कि अवतारसिह के निजी वाहन मे बैठे मोहनलाल हैड कानि. अपना वाहन लेकर व श्री सोहनलाल कानि बोलेरो वाहन लेकर निर्देशानुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आ गये। परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी ने अपने पास एक मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही श्री रमेश कुमार ए0एस0आई0 साहब है। जिन्होने मेरे से मांग कर अभी-अभी 65,000 रूपये लेकर दोनों हाथो से गिनकर अपने पहने हुऐ लोवर की दाहिनी साईड की जेब में रखे है, जो इनके पास ही है। जिस पर मन् खींवसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोटर साईकिल पर बैठे उक्त व्यक्ति को अपना, स्वतन्त्र गवाह का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम रमेश कुमार पुत्र श्री जगाराम, जाति सिरवी, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम नारलाई, पुलिस थाना देसूरी, जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक, आर.पी.एफ. पोस्ट फालना, जिला पाली, मोबाईल नम्बर [illegible] व [illegible] होना बताया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रमेश कुमार एएसआई से परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी से अभी-अभी 65,000 रूपये प्राप्त करने के सम्बंध में पुछा तो उसने बताया कि श्री गजेन्द्रपुरी को मै जानता हॅू। श्री गजेन्द्रपुरी के आरपीएफ थाना फालना में आन लाईन टिकिट आईडी की जांच चल रही है। जिसकी जांच सुश्री डिम्पल उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है। हमारे थाने के इन्चार्ज श्री कृपालसिंह निरीक्षक है। श्री गजेन्द्रपुरी के उक्त जांच में श्री गजेन्द्रपुरी की आन लाईन टिकिट के लिऐ संचालित बाली स्थित दुकान से लाये गये लेपटाप को पुनः सुपुर्द करने एवं दर्ज जांच में मदद करने के लिऐ श्री कृपालसिंह निरीक्षक व सुश्री डिम्पल उप निरीक्षक के कहे अनुसार मैने आज इसी स्थान पर श्री गजेन्द्रपुरी से 65,000 रूपये प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर मेरे पहने हुऐ लोवर के दाहिने साईड की जेब में रखे है, जो अभी भी मेरी जेब में ही है। श्री रमेष कुमार एएसआई ने स्वतः ही कहा कि आप कहो तो मैं उक्त दोनों अधिकारियों से जरिये वाटसअप काल बात कर सकता हॅू। जिस पर श्री रमेश कुमार को उसके मोटरसाईकिल से उतार कर मोटरसाईकिल को साईड मे खडा करवाकर यथा स्थिति में रहने की हिदायत दी जाकर दोनो हाथों को कलाई के उपर से पकडकर हमराह लेकर अवतारसिंह की निजी वाहन में पीछे की सीट पर बीच मे बैठाया। तत्पश्चात् श्री रमेश कुमार एएसआई को पुछने पर बताया कि मैने श्री कृपालसिंह निरीक्षक व एसआई डिम्पल के लिये रिश्वत राशि ली जिसके बारे मे मै

उनसे फोन पर वार्ता करवा सकता हूं। श्री रमेश कुमार के कहे अनुसार एवं मांग संत्यापन वार्ता के क्रम में श्री रमेश कुमार द्वारा रिश्वत राशि कृपालसिह निरीक्षक व एसआई डिम्पल के कहे अनुसार प्राप्त की गई है। इस कारण श्री रमेशकुमार के बताये तथ्यो एवं मांग सत्यापन के तंथ्यों की पुष्टि हेतु निरीक्षक कृपालसिह व एसआई डिम्पल से वार्ता करवाने के लिये उक्त स्थान से रवाना होकर बाली रोड की तरफ थोडा से आगे लेकर गाडी को साईड मे खडा करवा कर गाडी मे ही बैठे-बैठे श्री रमेशकुमार एएसआई ने अपने पहने हुऐ लोवर की बाई जेब से एक मोबाईल निकालकर अपने मोबाईल में IPF Karpal Singh नाम से सेव श्री कृपालसिंह निरीक्षक के वाटसअप नम्बर पर वक्त 08.11 पर मोबाईल का लाउडस्पीकर आन करवाकर वाटसअप काल करवाया गया जाकर उक्त वार्ता को कार्यालय हाजा के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। जिसमें श्री कृपालसिंह निरीक्षक ने रिश्वत राशि के सम्बंध में अपनी सहमती दी। तत्पश्चात् अपने मोबाईल में SIPF Dimple Falna नाम से सेव सुश्री डिम्पल के मोबाईल नम्बर) पर वक्त 08.13 पी.एम. पर मोबाईल का लाउडस्पीकर आन करवाकर वाटसअप काल करवाया गया जाकर उक्त वार्ता को कार्यालय हाजा के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। जिसमें सुश्री डिम्पल उप निरीक्षक ने भी रिश्वत राशि के सम्बंध में अपनी सहमती दी। उपरोक्त वार्ताओं की पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्टस तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस करवायी गई मोबाइल वार्ता की विडियो रिकार्डिंग मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से की गई जिसको पैन ड्राईव मे डालकर शामिल कार्यवाही किया जायेगा। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री रमेश कुमार एएसआई को दिनांक 25.06.24 को परिवादी श्री गजेन्द्र से रिश्वत राशि के तौर पर प्राप्त 35,000 रूपये के संबंध मे पूछा तो रमेश ने बताया कि उक्त रिश्वत राशि दिनांक 26.06.24 को सुबह करीब 11 बजे निरीक्षक कृपालसिंह को दे दी थी। श्री कृपालसिंह निरीक्षक एवं सुश्री डिम्पल उप निरीक्षक ने श्री रमेश कुमार एएसआई से हुई वार्ता मे रिश्वत राशि के सम्बंध में सहमती प्रदान करने पर श्री कृपालसिंह निरीक्षक को दस्तयाब करने हेतु श्री पदमपालसिह निरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो सिरोही को एवं सुश्री डिम्पल उप निरीक्षक को दस्तयाब करने हेतु श्री चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल निर्देषित किया। आरोपी की मोटर साईकिल को जैन हास्पिटल के आगे एक तरफ खडी करवाई जाकर लाक लगाकर चाबी हमरा ली गई। निर्देशानुसार श्री सोहनलाल कानि. सरकारी बोलेरो वाहन लेकर भी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास घटना स्थल पर उपस्थित आया। तत्पष्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री रमेश परिहार, ब्यूरो जाब्ता, एवं आरोपी श्री रमेश कुमार एएसआई को यथा स्थिति में हमराह लेकर अवतार सिह के निजी वाहन से एवं श्री लक्ष्मणदान एएसआई, श्री सोहनलाल कानि. एवं गवाह श्री धनराज प्रजापत सरकारी वाहन से घटना स्थल से आरपीएफ थाना रेल्वे स्टेशन पीछे की तरफ रवाना हुए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमराहीयान के घटना स्थल से रवाना शुदा आरपीएफ थाने की पीछे वाले गेट व रास्ते पर पंहुचा तो जहां पर आरपीएफ थाने के पीछे की तरफ के रास्ते पर पूर्व के निर्देशित श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस हमराह जाब्ते एवं श्री पदमपालंसिह पुलिस निरीक्षक मय जाब्ते के एवं आरोपी श्री कृपालसिह निरीक्षक को लेकर एवं श्री लक्ष्मणदान एएसआई, स्वतत्र गवाह श्री धनराज व श्री सोहनलाल बोलेरो वाहन सहित उपस्थित मिले। श्री कृपालसिंह निरीक्षक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमरायान का परिचय देकर उसका परिचय पूछने पर उसने अपना परिचय श्री कृपालसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी गांव सिनसिनी, पुलिस थाना व तहसील डीग, जिला भरतपुर, हाल निवासी मकान नं.140 गणेश विहार कालोनी सिरसी मोड जयपुर हाल निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट फालना जिला पाली डिविजन अजमेर होना बताया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री रमेश कुमार द्वारा उनके व एसआई डिम्पल मैडम के कहे अनुसार दिनांक 25.06.2024 को परिवादी श्री गजेन्द्र से 35,000/- रूपये प्राप्त किये थे जो आपको देना बता रहा है तो कृपालसिह ने इस संबंध मे कोई जानकारी नही दी तथा पैसे लेने से इन्कार किया। जिस पर श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो एसयू जोधपुर को श्री कृपालसिंह के किराये के कमरे की तलाशी लेने के लिये निर्देशित किया गया तो उप अधीक्षक पुलिस ने हमराही जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे श्री कृपालसिंह को हमराह ले जाकर उसके किराये के कमरे की तलाशी ली गई तो किराये के मकान मे बने पूजा के अलमारी मे भगवान की मूर्ति के पीछे 13,000/-रूपये मिले नगद मिले इसके अतिरिक्त कोई संदिग्ध राशि व दस्तावेजात नही मिले तथा इस्तेमाली कपडे, बिस्तर एक बैड व टेबल कुर्सी आदि पाये गये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोरधनराम उप अधीक्षक को किराये के कमरे की ली गई खाना तलाशी की फर्द अलग से तैयार करने के लिये निर्देशित कर मंन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरोपी श्री कृपालसिंह, स्वतंत्र गवाह श्री धनराज व ब्यूरो जाब्ता सरकारी वाहन से तथा अवतारसिह के निजी वाहन मे सह आरेापी श्री रमेशकुमार को हमराह स्वतंत्र गवाह श्री रमेश परिहार मय ब्यूरो जाब्ता एवं अन्य दल के सदस्यों सहित अपने-अपने वाहनो से अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना फालना रवाना हुए तथा श्री पदमपालसिंह पुलिस निरीक्षक मय उनके जाब्ते के पुलिस थाना आरपीएफ फालना मे परिवादी के विचाराधीन जांच से संबंधित दस्तावेजात व परिवादी के लेपटाप को प्राप्त करने के लिये निगरानी मे आरपीएफ थाने के मामूर कर निर्देशित किया कि उक्त को प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आवे। तत्पश्चात् वक्त 9.17 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनो आरोपी एवं संमस्त ब्यूरो दल के वाहनो सहित पुलिस थाना फालना पंहुचा, जहां पर श्री चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक पूर्व का निर्देशानुसार आरोपिया सुश्री डिम्पल एसआई को दस्तायबशुदा पूर्व का आये हुए उपस्थित मिले। मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक ने थाने मे उपस्थित थानाधिकारी विक्रमसिह् सान्दू से अग्रिम कार्यवाही संम्पादित करने की मौखिक अनुमति प्राप्त कर एक कमरा उपलब्ध करवाने के लिये कहा, जिस पर थानाधिकारी ने अपना कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहन एवं ब्यूरो दल के सदस्यगण मय दस्तयाब शुदा आरोपीगण सर्व श्री कृपालसिंह् निरीक्षक तथा श्री रमेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को यथा स्थिति में थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में लाया गया तथा श्री चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक द्वारा दस्तयाब कर लाई हुई एसआई सुश्री डिम्पल थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष मे महिला कानि. कौशल्या के साथ मे उपस्थित मिली। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमरायान का परिचय देकर उस महिला एसआई से परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय सुश्री डिम्पल पुत्री श्री रामचरणलाल जाति बैरवा उम्र 26 वर्ष निवासी गांव भण्डारी बैरूनी, पुलिस थाना बालघाट, जिला करौली हाल उप निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट फालना जिला पाली मण्डल अजमेर होना बताया। इसी दौरान श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री कृपालसिंह के किराये के कमरे की फर्द खाना तलाशी व मिली नगद राशि 13,000 रूपये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये। तत्पश्चात् कल दिनांक 25.06.2024 को श्री रमेश कुमार ने परिवादी से प्राप्त किये गये रूपयो के क्रम में आरोपिया सुश्री डिम्पल एसआई के निवास स्थान पर भी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने एवं परिवादी गजेन्द्र की जांच के क्रम मे जब्त परिवादी का लेपटाप एवं जांच से संबंधित दस्तावेजात जो कि खुर्दबुर्द होने की सम्भावना के मध्यनजर श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक को अन्य स्वतंत्र गवाह व महिला कानि. व आरोपिया को साथ लेकर आरोपिया के निवास स्थान की एवं आरपीएफ थाने की तलाशी लेने के लिये वक्त 9.45 पीएम पर निर्देशित कर रवाना किया। जो बाद तलाशी वक्त 12.05 एएम पर आरोपिया सुश्री डिम्पल को हमराह लेकर उपस्थित थाना आये। श्री चेन प्रकाश पुलिस निरीक्षक ने बताया कि आरोपिया के निवास पर 68,500 रूपये नगद राशि मिली तथा इसके अलावा घरेलू इस्तेमाली सामान, बर्तन, कपडे व बिस्तर आदि पाये गये। इसके अलावा कोई संदिग्ध राशि एवं दस्तावेजात नही मिले। परिवादी के लेपटाप एवं जांच के कागजात जो कि आरपीएफ थाने मे स्थित उसके खुद के कार्यालय मे सुश्री डिम्पल एसआई की निशादेही पर तलाश की गई तो कार्यालय कक्ष मे रखी डिम्पल की वर्किंग टेबल के पास रखी छोटी ताला बन्द अलमारी मे से निकाल कर पेश किये। जिसे जब्त कर लाया हूं तथा इन दोनो स्थानों की तलाशी विधिवत ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई। फर्द व मिली राशि 68,500 रूपये व परिवादी के लेपटाप व जांच से संबंधित पत्रावली मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की। तत्पश्चात् कार्यवाही मे सह आरोपी श्री रमेश कुमार एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथों से गिनकर अपने पहने हुए लोवर की साईड की दाहिनी जेब मे रखना बताया था। इस कारण से सह आरोपी रमेश कुमार के हाथों व पहने हुए लोवर का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से धोवन की अग्रिम कार्यवाही शुरू कर साथ में लाये टे्प बाक्स को गाडी मे थानाधिकारी कक्ष में मंगवाया गया। तत्पश्चात् सहआरोपी श्री रमेष कुमार एएसआई के हाथो का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के रूबरू सहआरोपी श्री रमेश कुमार के हाथ के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्लास्टिक की यूज एण्ड थ्रो दो साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में सहआरोपी श्री रमेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलिया एवं अंगुष्ठ को उक्त रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में सहआरोपी श्री रमेश कुमार के बांये हाथ की अंगुलिया एवं अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् सहआरोपी श्री रमेष कुमार एएसआई की जामा तलाशी गवाह श्री रमेश परिहार सहायक अभियन्ता से लिवाई गई तो उसके पहने हुऐ लोअर के साईड की दाहिनी जेब में नोटों का एक बण्डल पाया गया। उक्त नोटों के बण्डल को जेब से बाहर निकलवाया जाकर चैक करवाया गया तो 500-500 रूपये के 130 नोट कुल 65,000 रूपये (अक्षरे पैसठ हजार रूपये) पाए गए। जिस पर उपस्थित गवाह श्री धन्नराज प्रजापत को पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेषकषी सुपुदर्गी नोट की प्रति देकर नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है- (1) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 डब्ल्यू क्यू 505722 (2) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी0 क्यू डी 937989 (3) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 आर एल 546362 (4) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 टी सी 381954 (5) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 ए डी 955964 (6) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 पी एन 569618 (7) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 पी जी 251699 (8)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 एफ के 804297 (9) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 एन ए 663339 (10) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 ए जी 493458 (11) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 ई सी 978004 (12) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 डब्ल्यू बी 065301 (13) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 वी पी 868002 (14) एक नोट पांच सौ रूपये का

नम्बरी 2 एफ ई 858081 (15) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 सी पी 775925 (16) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 डी डी 843271 (17) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 डी आर 902310 (18) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 यू एच 630652 (19) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 के एस 288147(20) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 डी टी 319368 (21) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 डी टी 319366 (22) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 क्यू ई 941390 (23) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 क्यू ई 941391 (24) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 डी एम 606018 (25) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 ई डब्ल्यू 624354 (26) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 एम ए 252219 (27) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 डी के 913259 (28) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 डी टी 902093 (29) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 एफ जी 937592 (30) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 डी टी 090876 (31) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी0 डब्ल्यू सी 874926 (32) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 जी एफ 191435 (33) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 सी क्यू 157244 (34) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 बी आर 298910 (35) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 ए यू 820807 (36) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1एम एस 090631 (37)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 पी टी 096134 (38) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 डी के 559245 (39) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 सी ए 134353 (40) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 एच सी 566484 (41) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 के टी 505062 (42) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 डब्ल्यू डी 303276 (43)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 के सी 267242 (44) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 यू पी 787892 (45) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एन के 754542(46) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 जी एच788356 (47) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 एन आर029545 (48) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 जी आर 907049 (49) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 वी एस 851473 (50) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी6 ए सी 438107 (51)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 जी ए 800475 (52) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 वी ए 166907(53) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 सी टी 211732 (54) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 एस के 257401 (55) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 सी सी 471273 (56) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 क्यू के 150243 (57) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर1 एल क्यू 334154 (58) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 जी एम 443228 (59) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 के एन 074708 (60) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एन डी 143323 (61) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एन डी 143324 (62) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एन डी 143325 (63) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एन डी 143326 (64) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4ए जी032817(65)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 वी यू 469361 (66)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी0एन आर925803 (67) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 जी एल 941389(68) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7यू सी923937(69) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 बी एफ 467585(70)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 पी पी 870449 (71) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 जी एस 022888(72) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 एन डी 594971 (73)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी9एन आर730657(74)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी2आर वी 559531(75)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 ई एल 126385 (76)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एच एस 557257 (77) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 ई ई 309775 (78)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 यू एच 164093 (79) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 यू एल 608144 (80) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 टी यू 355061 (81) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 ए एल 960727 (82) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1एम डी 246725 (83) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 ए यू 119653 (84) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 जी के 298128 (85)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 डी यू 254991(86) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 क्यू के 238342 (87) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 आर क्यू 058542 (88) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 एम डी 053590 (89)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी1बी एच729724(90) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी2क्यू जी922050(91) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2पी एम 480359 (92) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 ए एस 185881 (93) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 एफ एफ 030966 (94) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 एफ डी 000807 (95) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 डी एन 002913 (96) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 बी के 014440 (97)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 टी जी 951273 (98) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 पी एल 147570 (99) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 टी यू 359148 (100) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 आर एस 620796 (101) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 एल एन 020759 (102) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 एम एल 593795 (103) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 एम बी 976184 (104) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 एल टी 663157 (105) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 बी आर 868431 (106) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 एन के 656342 (107) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 जी एन 059779 (108) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 यू टी 185888 (109) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एन एम 567579 (110)

एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 टी डी 140797 (111) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 के सी 704046 (112) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 ए ई 032041 (113) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 सी टी 672247 (114) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 एफ सी 798514 (115) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 एफ सी 798515 (116) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 बी एन 528456 (117) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 पी आर 805309 (118) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 एन ई 056382 (119) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 डब्ल्यू बी 668777 (120) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 पी बी 925961(121)एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एल के 201800(122) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 ई वी 498054 (123) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 जी डब्ल्यू 832305 (124) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 एच यू 759112 (125) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 सी एफ 541032(126) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 आर जी 890472 (127) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 के ए 633867 (128) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 सी एल 260930 (129) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 बी एच 020023 (130) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 वी क्यू 966391 उक्त रिश्वत राशि के नोटों को कपडे० की एक थैली में सील चिट कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गए। तत्पश्चात सह आरोपी श्री रमेश कुमार के पहने हुऐ लाअर जिसकी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से एक अन्य लोअर पहनने हेतु मंगवाया जाकर पहने हुऐ लोअर को उतरवाया गया तथा मंगवाए गए लोअर को पहनाया गया। प्लास्टिक की यूज एण्ड थ्रो एक साफ गिलास में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में उक्त लोअर के साईड की दाहिनी जेब को उलटवा कर उक्त रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तन होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चिटों पर प्रकरण से सम्बंधित विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित किया गया। उक्त लोअर को सुखाकर लोअर के साईड की दाहिनी जेब के अन्दर की तरफ सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लोअर को सफेद कपड़े की एक थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एल अंकित किया गया। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री रमेश कुमार एएसआई को परिवादी श्री गजेन्द्र पूरी के जांच के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि श्री गजेन्द्र पूरी आन लाईन रेल्वे टिकिट बुकिंग का काम करता है। हमारे अजमेर मण्डल कार्यालय से जांच हेतु कई आईडी आई थी। जिनमे आईडी मे पता, नाम व पिता का नाम एवं मोबाईल नंम्बर जो कि गजेन्द्र पूरी से मिलता-जुलता पाया गया। जिस पर इस जांच को सत्यापन के लिये किसी अधिकारी को तो अग्रेषित नही की तथा नही इस पर कोई टिप्पणी अंकित की जिससे यह जांच निरीक्षक साहब द्वारा ही की जा रही थी लेकिन इसमे बयान आदि एसआई मैडम द्वारा लिखे जा रहे थे। गजेन्द्र की जांच हमारे थाने मे आई तब दिनांक 07.06.2024 को निरीक्षक महोदय के साथ मै व श्री सुभाष हैड कानि. व श्री हरमिन्द्र कानि. गजेन्द्र की दुकान पर गये थे, लेकिन गजेन्द्र कही बाहर गया होने से दूकान पर नही मिला। दुकान पर गजेन्द्र का भाई मिला जिससे निरीक्षक साहब ने पुछताछ की तथा उसके दुकान से लेपटाप लेकर आये थे। लेपटाप ऑफिस के टेबल की दराज मे रखा। इस लेपटाप को निरीक्षक साहब अनाधिकृत रूप से ही लेकर आये थे इसको रिकार्ड मे कही अंकन नही किया। हम गजेन्द्र की दुकान पर गये इसकी हमारे थाने पर चलने वाले रोजनामचे मे रवानगी की हुई है तथा वापसी भी की हुई है लेकिन रोजनामचे मे जांच के दौरान साथ लाये गये लेपटाप के बारे मे कोई अंकन नही किया साथ ही बताया कि किसी भी इस प्रकार की आईडी के जांच मे कोई भी जांच अधिकारी इस प्रकार से कोई उपकरण/दस्तावेजात अनाधिकृतरूप से उठा कर नियमानुसार नही ला सकता यदि कोई ऐसा करता है तो अपराधिक कृत्य की श्रेणी मे आता है। दिनांक 25.06.2024 को सुबह करीब 10-11 बजे के करीब गजेन्द्र हमारे थाने मे आया था, उस समय एसआई डिम्पल व निरीक्षक साहब भी थाने मे ही मौजूद थे। उस समय गजेन्द्र की एसआई मैडम से बातचीत हुई थी तथा उसने जांच के सिलसिले मे बयान भी लिये थे तथा निरीक्षक साहब ने भी बात की थी। श्री रमेश कुमार एएसआई को श्री गजेन्द्र से दिनांक 25.06.2024 को रिश्वत के 35,000 रूपये लिये वो भी मैने सीआई साहब के कहने से ही लिये थे जो मैने दिनांक 26.062024 को निरीक्षक साहब को आफिस मे दे दिये थे। तत्पश्चात् आज दिनांक को लिये गये रिश्वत राशि 65,000 रूपयो के बारे मे पुछा तो उन्होने निरीक्षक साहब के कहे अनुसार ही लेना बताया तथा बताया कि मैने इस रूपयो के संबंध मे निरीक्षक साहब व एसआई मैडम दोनो से मोबाईल पर वाटसअप काल बात की तो निरीक्षक साहब ने तो कहा कि ठीक है देख लो तथा एसआई मैडम ने कहा कि कम क्यो दे रहा है ऐसे कैसे काम चलेगा। तत्पश्चात् आरोपी श्री कृपालसिंह को परिवादी श्री गजेन्द्र पूरी के जांच के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि श्री गजेन्द्र पूरी आन लाईन रेल्वे टिकिट बुकिंग का काम करता है। हमारे अजमेर मण्डल कार्यालय से जांच हेतु कई आईडी आई थी। जिनमे आईडी मे पता, नाम व पिता का नाम एवं मोबाईल नंम्बर जो कि गजेन्द्र पूरी से मिलता-जुलता पाया गया। मैने यह जांच सत्यापन हेतु उप निरीक्षक डिम्पल को दी थी। इस संबंध मे जांच डिम्पल एसआई ही कर रही थी। इस आईडी के जांच के सत्यापन के लिये मै व श्री रमेश कुमार एएसआई, श्री सुभाष हैड कानि. व श्री हरमिन्द्र कानि. गजेन्द्र की दुकान पर गये थे,

लेकिन ये कही बाहर गया होने से दूकान पर नही मिला। दुकान पर गजेन्द्र का भाई मिला जिससे पुछताछ कर हम वापस थाने आ गये। जिस पर श्री कृपालसिंह निरीक्षक को गजेन्द्र का लेपटाप आरपीएफ थाने लेकर कौन आया तो इस संबंध मे कोई जानकारी नही होना बताया। गजेन्द्र के दुकान से लाये गये लेपटाप की किसी प्रकार कोई जब्ती व रिकार्ड मे लिये जाने के बारे मे भी पुछा तो कोई जानकारी नही होना बताया साथ ही बताया कि किसी भी इस प्रकार की आईडी के जांच मे कोई भी जांच अधिकारी इस प्रकार से कोई उपकरण/दस्तावेजात अनाधिकृतरूप से उठा कर नियमानुसार नही ला सकता यदि कोई ऐसा करता है तो अपराधिक कृत्य की श्रेणी मे आता है। गजेन्द्र का लेपटाप मेरे आरपीएफ थाने मे है या नही इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। दिनांक 25.06.2024 को सुबह करीब 10-11 बजे के करीब गजेन्द्र मेरे थाने मे आया था उस समय एसआई डिम्पल व श्री रमेश कुमार एएसआई भी थाने मे ही मौजूद थे। उस समय गजेन्द्र की एसआई मैडम से बातचीत हुई थी तथा उसने जांच के सिलसिले मे बयान भी लिये थे। मैने भी गजेन्द्र से जांच से सहयोग करने हेतु बात की थी। जिस पर पास ही उपस्थित एसआइ मैडम ने कृपालसिह के कथन का खण्डन करते हुए बताया कि साहब झुठ बोल रहे है मै गजेन्द्र के जांच की जांच अधिकारी नही हूं यदि हू तो गजेन्द्र की जांच पर कोई टिप्पणी बता दे। तत्पश्चात् श्री कृपालसिह ने बताया कि मैने गजेन्द्र से कोई रिश्वत नही मंागी तथा ना ही मैने रिश्वत ली तथा ना ही मैने रमेश कुमार एएसआइ को लेने के लिये कहा, तो उपस्थित श्री रमेश कुमार एएसआई ने श्री कृपालसिह के कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि मैने गजेन्द्र से रिश्वत के रूपये इनके कहने से ही लिये थे तथा दिनांक 25.06.2024 को जो 35,000 रूपये लिये वो भी इनके कहने से ही लिये थे जो मैने दिनांक 26.062024 को कृपालसिह निरीक्षक को आफिस मे दिये थे। तत्पश्चात् श्री रमेश कुमार एएसआई द्वारा दिनांक 26.06.2024 को लिये गये रिश्वत राशि 65,000 रूपयो के बारे मे श्री कृपालसिह से पुछा तो उन्होने कोई जानकारी नही होना बताया साथ ही बताया कि आज शाम को रमेशकुमार का मेरे मोबाईल पर वाटसअप काल आया था तब उसने मुझे कहा कि गजेन्द्र पूरी 10,000/-रूपये कम दे रहा है तो मैने बात नही की थी, उसके बाद फोन कट गया। तत्पश्चात् श्री कृपालसिंह को उसके किराये के मकान मे मिली राशि 13,000 रूपयो के बारे मे पुछने पर उसने यह राशि स्वयं की होना बताया। जिस पर उसे इस राशि को इस तरह भगवान की मूर्ति के पीछे छिपाने के बारे मे पुछा कि यह राशि यदि स्वयं की थी तो इस तरह छिपाने का क्या कारण इसे आप अपने अटैची मे रखते, तो श्री कृपालसिह ने कोई जवाब नही दिया । इस प्रकार उक्त राशि के संबंध मे दिया गया जवाब उचित प्रतीत नही होने व राशि संदिग्ध प्रतीत होने से पृथक से जब्त कर कब्जा ब्यूरो ली जा चुकी है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया सुश्री डिम्पल को परिवादी श्री गजेन्द्र पूरी के जांच के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि श्री गजेन्द्र पूरी आन लाईन रेल्वे टिकिट बुकिंग का काम करता है। हमारे अजमेर मण्डल कार्यालय से जांच हेतु कई आईडी आई थी। जिनमे आईडी मे पता, नाम व पिता का नाम एवं मोबाईल नंम्बर जो कि गजेन्द्र पूरी से मिलता-जुलता पाया गया। इस जांच का सत्यापन मेरे निरीक्षक श्री कृपालसिह ही कर रहे थें। इस बाबत् मुझे कोई आदेश आदि नही दिया गया था। आपके पुछने पर बता रही हूं कि ऐसी जांचे हमारे थाने पर प्राप्त होती है तो वो जांच साइबर सैल जयपुर से डिविजन अजमेर को मिलती है उसके बाद डिविजन कार्यालय से संबंधित निरीक्षक को भिजवाया जाता है, जो पत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद उस जांच के सत्यापन के लिये निरीक्षक प्रभारी द्वारा उस जांच को सत्यापन हेतु स्वयं के पास रखा जाता है या उस पर अन्य अधिकारी के नाम की जांच के क्रम में टिप्पणी अकिंत कर उस जांच अधिकारी को सुपुर्द की जाती है। यदि उस जांच पर किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाने की टिप्पणी अंकित नही की जाती है तो ऐसी जांच निरीक्षक प्रभारी स्वयं उसके जांच अधिकारी होते है। गजेन्द्र की जांच श्री कृपालसिह निरीक्षक ही कर रहे थे मैने तो केवल उनके कहने से दिनांक 25.06.2024 को बयान लिखे थे। इस जांच मे श्री कृपालसिंह व हमारे थाने के स्टाफ श्री रमेश कुमार एएसआई, अन्य स्टाफ गये थे, जो आज मुझे मालूम नही क्योंकि मै उस समय अवकाश पर थी। श्री कृपालसिह निरीक्षक साहब जब गजेन्द्र के दुकान पर गये थे उस समय वो अपने साथ गजेन्द्र का क्या सामान लेके आये मुझे इसकी कोई जानकारी नही थी। श्री गजेन्द्र का लैपटाप किस के पास था इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। लेपटाप को अनाधिकृत लाये है या अधिकृत रूप से लाये है इसकी मुझे जानकारी नही है। श्री कृपालसिह निरीक्षक जो कि थाने पर नही थे तथा किसी कोर्स मे गये हुए थे तब गजेन्द्र हमारे थाने आया था जिसको मैने नोटिस दिया था क्योकि मै बिना नोटिस नही छोड सकती थी। इस प्रकार की किसी भी आईडी के जांच मे कोई भी जांच अधिकारी कोई उपकरण/दस्तावेजात लाता है तो उसकी जब्ती बनाई जाती है और अनाधिकृतरूप से उठा कर यदि कोई लाता है तो वो नियमानुसार नही है और यदि कोई ऐसा करता है तो अपराधिक कृत्य की श्रेणी मे आता है। गजेन्द्र का लेपटाप मेरे आरपीएफ थाने मे है इसकी मुझे जानकारी है, लेकिन ये कैसे लेकर आये इसकी मुझे जानकारी नही है। दिनांक 25.06.2024 को सुबह करीब 10-11 बजे के करीब गजेन्द्र मेरे थाने मे आया था उस समय मै, निरीक्षक महोदय व श्री रमेश कुमार एएसआई भी थाने मे ही मौजूद थे। उस समय गजेन्द्र की मेरे से बातचीत हुई थी तथा उसके जांच के सिलसिले मे मैने निरीक्षक महोदय के कहे अनुसार बयान भी लिये थे, मै इस मे जांच अधिकारी नही थी। उस समय निरीक्षक महोदय ने गजेन्द्र से बात की थी। मैने गजेन्द्र से कोई रिश्वत नही मंागी तथा ना ही मैने रिश्वत ली तथा ना ही मैने रमेश कुमार एएसआइ को लेने के लिये कहां। तत्पश्चात् दिनांक 26.06.2024 को श्री रमेश कुमार द्वारा परिवादी गजेन्द्र से ली गई 65,000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पुछा कि रमेश कुमार एएसआई ने आपके व निरीक्षक के कहे अनुसार लिये है तो बताया कि मैने रमेश कुमार एएसआई को रूपये लेने के बारे मे कुछ नही

बोला। निरीक्षक महोदय ने कहा होगा तो मुझे इसकी जानकारी नही है। आज शाम को रमेशकुमार का मेरे मोबाईल पर वाटसअप काल आया था तब उसने मुझे कहा कि गजेन्द्र पूरी 10,000/-रूपये कम दे रहा है तो मैने कहा मुझे क्यू बता रहे हो । उसके बाद फोन कट गया। जिस पर पास ही खडे श्री रमेश कुमार ने बताया कि मैडम झुठ बोल रहे है, आपने कहा था कि कम क्यो दिये ऐसे कैसे चलेगा। तत्पश्चात् श्री रमेशकुमार द्वारा दिनांक 25.06.2024 को आप के कहे अनुसार परिवादी श्री गजेन्द्र से 35.000 रूपये प्राप्त किये गये थे, के बारे मे पुछा तो उसने कोई जानकारी नही होना बताया। जिस पर पास ही खडे सह आरोपी श्री रमेश कुमार ने बताया कि ऐसा नही है मैने 35,000 रूपये कृपालसिह निरीक्षक साहब को दिये थे तथा आज जो मैने गजेन्द्र से रिश्वत राशि के 65,000 रूपये लिये है इस सारी राशि मे मैडम का भी हिस्सा है, तभी तो मैने आपके सामने इनके मोबाईल पर वाटसअप काल से वार्ता की तब इन्होने रूपये कम क्यो देने व ऐसे कैसे काम चलेगा आदि बात की। यदि इनको जानकारी नही होती या इनका हिस्सा नही होता तो रूपये कम देने की बात पर स्पष्ट इन्कार करते। इनका हिस्सा है तभी तो इन्होने ऐसी बात कही। तत्पश्चात् सह आरोपिया सुश्री डिम्पल को उसके निवास की खाना तलाशी मे मिली नगद राशि 68,500 रूपयों के बारे मे पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नही दिया तथा यह राशि स्वयं की होना बताया। इस प्रकार सह आरोपिया द्वारा इस राशि के बारे मे दिया गया जवाब संतोषजनक नही होने उक्त राशि को पृथक से जरिये फर्द कब्जा ब्यूरो लिया जा चुका है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के खिलाफ दर्ज आईडी की जांच से संबंधित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो श्री कृपालसिह द्वारा हस्ताक्षरशुदा मण्डल सुरक्षा आयुक्त रेल्वे सुरक्षा बल अजमेर मण्डल उत्तर पश्चिम रेल्वे को लिखा गया पत्र क्रमांक सी-4/रेल्वे एक्ट/2024 दिनांक 25.06.2024 के अनुसार साईबर सैल रेल्वे सुरक्षा बल जयपुर द्वारा दिनांक 29.04.2024 को साईनाथ टे्वल की संदिग्ध आईडी की शिकायत पर आरपीएफ पोस्ट फालना द्वारा दिनांक 07.06.2024 को संदीग्ध आइडीओ की तस्दीक हेतु बाली मे परिवादी की दुकान पर दबिश दी जहां से लेपटाप अनाधिकृत रूप से लेकर आये। इस जांच की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.06.2024 को परिवादी गजेन्द्र को एचपी का लेपटाप वापस लौटाना अकिंत किया है। जबकि रूबरू मौतबिरान व आरपीएफ के सुभाष हैड कानि.नं. 040044 के रूबरू आरपीएफ के थाने के अन्दर मौजूद सुश्री डिम्पल के कार्यालय कक्ष का ताला सुश्री डिम्पल की मौजूदगी मे तुडवाकर कक्ष मे उप निरीक्षक डिम्पल की वर्किग टेबल के पास रखी हुइ छोटी तालाबन्द अलमारी जिसका ताला स्वयं डिम्पल ने अपनी टेबल की दराज से चाबी निकाल कर रूबरू गवाहान खोला जिसमे से परिवादी के पेंडिंग कार्य से संबंधित पत्रावली निकाल कर पेश की जिसे बारामद कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। ताबाद सुश्री डिम्पल ने अपने वर्किंग टेबल के पास रखी दूसरी अन्य छोटी अलमारी का स्वयं के पास मौजूद चाबी से ताला खोलकर एक लेपटाप निकालकर पेश किया जो परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी का होना बताया जिसका अवलोकन करने पर उक्त लेपटाप डेल कम्पनी का मार्का लगा होना पाया गया जो परिवादी का होने के कारण बरामद कर कब्जा एसीबी लिया गया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि तीनो आरोपीगण द्वारा परिवादी श्री गजेन्द्र के दुकान से अनाधिकृत रूप से जब्त कर लाये गये लेपटाप को पुनः सुपुर्द करना जांच रिपोर्ट मे बताया है तथा जांच रिपोर्ट मे लेपटाप दूसरी कम्पनी का सुपुर्द करना अंकन किया है। जबकि परिवादी का लेपटाप आरपीएफ पोस्ट फालना मे रखा हुआ ब्यूरो द्वारा जब्त किया गया। जांच रिपे०ार्ट मे भी परिवादी गजेन्द्र पूरी के खिलाफ आईडी की जांच मे आरोप प्रमाणित नही पाये जाने की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2024 को तैयार की हुई जिस पर श्री कृपालसिह के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि परिवादी श्री गजेन्द्र को उसके खिलाफ झुठे तथ्यों एवं निराधार तथ्यो का हवाला देकर तीनो एक राय होकर रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से उसे झुठी कार्यवाही का भय दिखाकर रिश्वत राशि की मांग की गई तथा मांग के अनुसरण मे दिनांक 25.06.2024 को पुनः सत्यापन के समय श्री रमेश कुमार एएसआई के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त की तथा बकाया रिश्वत राशि भी दिनांक 26.06.2024 को श्री रमेश कुमार के माध्यम से ही प्राप्त किये, जिसके संबंध मे ब्यूरो ने दौराने कार्यवाही श्री रमेश को रंगे हाथों पकडा तत्पश्चात् सह आरोपी श्री रमेशकुमार द्वारा प्राप्त किये गये रिश्वत राशि के संबंध मे श्री कृपालसिंह व डिम्पल से जरिये फोन वाटसअप काल कर वार्ता करवायी गई तों दोने०ा ने सहमती दी। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री रमेश कुमार द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि तीनो आरोपीगण ने एक राय होकर उचन्ती कार्यवाही की एवज मे प्राप्त की गई है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपीगण के मोबाईल जो कि सुरक्षा की दृष्टि से गवाह को सुपुर्द किये गये थे। इन मोबाईल का अवलोकन किया गया तो सह आरोपी श्री रमेश कुमार का मोबाईल वीवो 1917 आईएमईआई नं. 868860042490696 व 868860042490688 होना पाया गया इसमे दो सिम लगी हुई होना जिसके सिम नम्बर [redacted] व [redacted] ।(वाटसअप नं.) जिसके पासवर्ड नं. 2011 होना पाया गया। आरोपी श्री कृपालसिह का मोबाइल वीवो 1902 जिसके आईएमईआई नं. 860398044037817 वं 860398044037809 इसमे एक सिम लगी हुई होना जिसके सिम नं. 9352351624 वाटसअप नं. तथा सिम नही लेकिन वाटसअप नम्बर [redacted] है तथा II वाटसअप नं. [redacted] तथा मोबाईल का पासवर्ड पैटन जेड होना पाया गया। सह आरोपी सुश्री डिम्पल का मोबाईल वन प्लस nord CE 3 modal-CPH 2467 आईएमईआई नं. 862529066205258 व 862529066205241 होना पाया गया इसमे दो सिम लगी हुई होना जिसके सिम नम्बर [redacted] वाटसअप बिजनैस व [redacted], (वाटसअप नं.) जिसके पासवर्ड नं. 081208 होना पाया गया। चुकी आरोपीगण के मोबाईल कार्यवाही मे वजह सबूत होने से जब्त कर कब्जा एसीबी लिया जाना आवश्यक होने से जब्त कर

कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त तीनो मोबाईल अनुसंधान मे वाछित होने से खुली हालात मे रखा गया। तत्पश्चात् प्रकरण में घटनास्थल का नजरी नक्शा मौका तैयार कर पृथक से फर्द मुर्तिब शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् वक्त 10.05 ए0एम0 पर सह आरोपी श्री रमेशकुमार एएसआई के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर उक्त जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। वक्त 10.30 ए0एम0 पर आरोपी श्री कृपालसिंह निरीक्षक के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर उक्त जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् सह आरोपिया सुश्री डिम्पल एसआई के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर उक्त जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् वक्त 11.15 ए0एम0 पर परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी व आरोपीगण श्री कृपालसिंह निरीक्षक, सुश्री डिम्पल व श्री रमेश कुमार एएसआई के मध्य दिनांक 25.06.2024 को सुबह हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में है, जिसे कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में लेपटोप के सॉफ्टवेयर मदद से लेपटोप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रंसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक से तैयार करवाकर फर्द मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी व आरोपीगण श्री कृपालसिंह निरीक्षक, सुश्री डिम्पल व श्री रमेश कुमार एएसआई के मध्य दिनांक 25.06.2024 को सांय हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में है, जिसे कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में लेपटोप के सॉफ्टवेयर मदद से लेपटोप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रंसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक से तैयार करवाकर फर्द मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी व आरोपी श्री रमेश कुमार एएसआई के मध्य दिनांक 26.06.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व जरिये वाटसअप काल एवं लेन-देन के दौरान हुई रूबरू वार्ता तथा लेन-देन के पश्चात श्री रमेश कुमार एएसआई द्वारा लेन-देन के सम्बंध में जरिये वाटसअप श्री कृपालसिंह निरीक्षक एवं सुश्री डिम्पल उप निरीक्षक से हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड को वायस रिकार्डर से बाहर निकानकर कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में लेपटोप के सॉफ्टवेयर की मदद से लेपटोप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रंसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व, दौराने लेन-देन एवं लेन-देन पश्चात हुई वार्ता मेरे निर्देशन में श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक से तैयार करवाकर फर्द मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री गजेन्द्रपुरी को रूखसत किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया की परिवादी श्री गजेन्द्र पुरी द्वारा आनलाईन किये जा रहे टिकिट बुक्रिग के कार्य मे उसके द्वारा आईडी का दुरूपयोग करने की जांच के संबंध मे परिवादी को झुठे तथ्य बता कर परिवादी के दुकान पर दबिश देकर अनाधिकृत रूप से उसका लेपटाप उठाकर ले आये जिसे पुनः परिवादी को सुपुर्द करने व आईडी की जांच मे सत्यापन परिवादी के पक्ष मे करने की एवज मे आरोपी, श्री कृपालसिंह निरीक्षक, सह आरोपिया सुश्री डिम्पल व सह आरोपी श्री रमेश कुमार एएसआई ने आपस मे एक राय होकर परिवादी को डराकर कारवाई का भय दिखा कर दो लाख रूपये की मांग करते हुए रिश्वत राशि एक लाख रूपये लेना तय हुआ। जिसके क्रम मे पुनः मांग सत्यापन के दौरान मध्यस्थ सह आरोपी श्री रमेश कुमार ने रिश्वत राशि के 35,000 रूपये प्राप्त किये तथा शेष रिश्वत राशि 65,000/- रूपये दौराने टेम्प कार्यवाही मध्यस्थ श्री रमेश कुमार ने प्राप्त किये तत्पश्चात् श्री रमेश कुमार द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे मे आरोपी श्री कृपालसिंह व सह आरोपी सुश्री डिम्पल की मंशा से आरोपी श्री कृपालसिह व डिम्पल एसआई से जरिये फोन बात करवाई गई तो दोनो ने सहमती दी। रिश्वत राशि सह आरोपी श्री रमेश के कब्जे से बरामद होने से उपरोक्त आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 120बी भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपीगण सर्व श्री कृपालसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी गांव सिनसिनी, पुलिस थाना व तहसील डीग, जिला भरतपुर, हाल निवासी मकान नं. 140 गणेश विहार कालोनी सिरसी मोड जयपुर हाल निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट फालना जिला पाली डिविजन अजमेर, सुश्री डिम्पल पुत्री श्री रामचरणलाल जाति बैरवा उम्र 26 वर्ष निवासी गांव भण्डारी बैरूनी, पुलिस थाना बालघाट, जिला करौली हाल उप निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट फालना जिला पाली मण्डल अजमेर व श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगाराम, जाति सिरवी, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम नारलाई, पुलिस थाना देसूरी, जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक, आर.पी.एफ. पोस्ट फालना, जिला पाली के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए व 12

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजिबद्व हेतु सादर प्रेषित है भवदीय (खींव सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय......... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) ,एवं 120बी भादस में आरोपीगण सर्व 1-श्री कृपालसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह निवासी गांव सिनसिनी, पुलिस थाना व तहसील डीग, जिला भरतपुर, हाल निवासी मकान नं. 140 गणेश विहार कालोनी सिरसी मोड जयपुर हाल निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट फालना जिला पाली डिविजन अजमेर, 2- सुश्री डिम्पल पुत्री श्री रामचरणलाल, निवासी गांव भण्डारी बैरूनी, पुलिस थाना बालघाट, जिला करौली हाल उप निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट फालना जिला पाली मण्डल अजमेर व 3-श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगाराम, निवासी ग्राम नारलाई, पुलिस थाना देसूरी, जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक, आर.पी.एफ. पोस्ट फालना, जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री अरविन्द कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 479 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 652-56 दिनांक 28.06.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2 प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/उपरे-कार्यलय-जयपुर । 3- मण्डल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/उपरे-कार्यलय-अजमेर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Arvind Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/06/2024 14:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/02/1970				
2	Female	12/08/1997				
3	Male	07/05/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)